18.08.25 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। पैरोकार राज को नवीनतम जमाबंदी सहित स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने हेतु बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया गया है। कि चक 12 MLD-A के प० नं० 209/53 मु० नं० 27 के किला नं० 5 में 0.016 में वेदप्रकाश, 0.034 में संतोषकुमार एवं

—लगातार

फर्द अहकाम

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही

0.018 है० पर अमितकुमार द्वारा पशुओं का गोबर एवं कूड़ा करकट डालकर उपयोग में ली जा रही है। प्रतिवादी द्वारा अपनी कृषि भूमि का संपरिवर्तन करवाये बिना आवासीय रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः राजकीय भूमि में समायोजित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी की कृषि भूमि जो अकृषि प्रयोग में ली जा रही है वह संपरिवर्तन होने योग्य है। अतः वादी का यह वाद पत्र धारा 177(1)(अ) RTA के तहत पोषणीय नहीं है। अतः तहसीलदार धारा 90-A के तहत कार्यवाही करे। वादी का वादपत्र धारा 177(1)(अ) RTA में पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौधान)
RAS